

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर, सन्त कबीरनगर, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, बागपत, भदोही, कानपुर देहात,
फर्रुखाबाद, सम्भल, बिजनौर, महोबा, हाथरस एवं एटा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 2022

विषय:-जनपदों में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में संविदा के आधार पर आपदा विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन व्यय के भुगतान हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में संविदा के आधार पर आपदा विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन व्यय के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07 जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹0 17,18,000/- (रुपये सत्रह लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख ₹0 नें)
1	2	3
1	मीरजापुर	0.95
2	सन्त कबीर नगर	0.37
3	अलीगढ़	0.91
4	आगरा	0.95
5	प्रयागराज	0.19
6	बागपत	3.37
7	भदोही	0.29
8	कानपुर देहात	0.58
9	फर्रुखाबाद	0.33
10	सम्भल	0.32
11	बिजनौर	5.89
12	महोबा	0.91
13	हाथरस	1.09
14	एटा	1.03
योग		17.18
(रुपये सत्रह लाख अठ्ठारह हजार मात्र)		

नियम/शर्त/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि विज्ञापन की दर सूचना विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 17,18,000/- (रूपये सत्रह लाख अट्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखाशीर्षक 2245808000700 जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या: 996 (1)/एक-10-2022-33(79)/2015 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

mnoje
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

4-

Allotment Grid Report

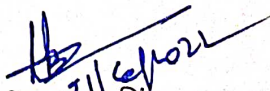
वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-21/06/2022

प्रेषण संख्या:- 996
आवंटन आदेश संख्या:- 001-996
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 91000 प्रगामी 291000	91000 291000
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 95000 प्रगामी 295000	95000 295000
3	एटा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 103000 प्रगामी 103000	103000 103000
4	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 589000 प्रगामी 589000	589000 589000
5	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 33000 प्रगामी 33000	33000 33000
6	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 19000 प्रगामी 219000	19000 219000
7	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 95000 प्रगामी 295000	95000 295000
8	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 58000 प्रगामी 58000	58000 58000
9	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 91000 प्रगामी 291000	91000 291000
10	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 29000 प्रगामी 229000	29000 229000
11	हाथरस-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 109000 प्रगामी 189645	109000 189645
12	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 37000 प्रगामी 237000	37000 237000
13	बागपत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 337000 प्रगामी 337000	337000 337000
14	सम्बल-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 32000 प्रगामी 232000	32000 232000
	योग	वर्तमान 1718000 प्रगामी 3398645	1718000 3398645

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह लाख अठारह हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तैंतीस लाख अठानवे हजार छः सौ पैतालीस


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।